

संशोधित

कार्यालय

जिलाधिकारी,

गौतमबुद्धनगर

पत्रांक

6205

12-10-2022

दिनांक

गौतमबुद्धनगर

10-04-2023।

कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत समस्त जनपदों में वेटलैण्ड के सर्वे, चिन्हांकन, संरक्षण एवं चिरन्तर (सस्टेनेबुल) उपयोग हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-757/14-4-2009 दिनांक 25 मार्च 2009 द्वारा जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। जिला स्तरीय वेटलैण्ड समिति के सदस्यगण निम्नवत हैं:-

(क) जिलाधिकारी	- अध्यक्ष।
(ख) जिला कृषि अधिकारी	- सदस्य।
(ग) अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग	- सदस्य।
(घ) मत्स्य अधिकारी	- सदस्य।
(च) प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक	- सदस्य सचिव।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 177/2022, अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12-10-2022 में प्राप्त निर्देश के क्रम जनपद गौतमबुद्धनगर में वेटलैण्ड के सर्वे, चिन्हांकन, संरक्षण एवं चिरन्तर (सस्टेनेबुल) उपयोग हेतु जिला स्तर पर वेटलैण्ड समिति के पुर्नगठन हेतु समिति के उक्त सदस्यों के साथ-साथ समिति में निम्न अधिकारियों/पर्यावरणविद को भी सम्मिलित करने के आदेश निर्गत किये जाते हैं:-

(क) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना द्वारा अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी से अभिन्न नामित अधिकारी	- सदस्य।
(ख) मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर	- सदस्य।
(ग) अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व गौतमबुद्धनगर	- सदस्य।
(घ) समस्त उप जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर	- सदस्य।
(ङ) क्षेत्राधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, नोएडा	- सदस्य।
(च) क्षेत्राधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा	सदस्य
(छ) जिला पंचायत राज अधिकारी, गौतमबुद्धनगर	- सदस्य
(ज) श्री अभीष्ट कुसुम गुप्ता, पर्यावरणविद	- विशेष आमंत्रित सदस्य,

जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर/अध्यक्ष
जिला वेटलैण्ड समिति

पत्रांक

6205

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-10-2022 के अनुपालन में जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर के पत्रांक 2666/18-1 दिनांक 03-11-2022 द्वारा अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा ओ0एस0डी0 से अभिन्न अधिकारियों को नामित करते हुए उनके नाम, पदनाम तथा मोबाईल न0 सूचित करने हेतु अनुरोध किया गया था किन्तु अभी तक वांछित कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई। कृपया तदनुसार कार्यवाही करने की कृपा करें।

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर/अध्यक्ष
जिला वेटलैण्ड समिति

पत्रांक

6205

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव जिला वेटलैण्ड समिति।
3. समस्त सदस्यगण जिला वेटलैण्ड समिति।

जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर/अध्यक्ष
जिला वेटलैण्ड समिति